



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072024-255291
CG-DL-E-09072024-255291

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2537]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 2024/आषाढ 18, 1946

No. 2537]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 2024/ASHADHA 18, 1946

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2024

का.आ.2672(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, केरल राज्य में मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड की कोच्चि-कूटानद-बेंगलुरु-मंगलौर पाइपलाइन (केकेवीएमपीएल) परियोजना के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री शाहजहां एस., सहायक आयुक्त (डीएम), भूमि राजस्व आयुक्त कार्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल सरकार को श्री सानू पी. एन., राजस्व विभागीय अधिकारी, केरल सरकार के स्थान पर, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, एक वर्ष की अवधि के लिए, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/112/2017-जीपी-II(ई-45566)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2024

S.O. 2672(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Shajahan S., Assistant Commissioner (DM), Office of the Commissioner of Land Revenue, Thiruvananthapuram, Government of Kerala in place of Shri Sanoo P.N., Revenue Divisional Officer, Government of Kerala to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, on deputation basis, for a period of One Year, for Kochi-Koottanad-Bengaluru-Mangalore Pipeline (KKB MPL) Project of M/s GAIL (India) Limited in the State of Kerala.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/112/2017-GP-II (E-45566)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.